

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जून 2011—आषाढ़ 1, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

क्र. एफ ए 1-16-2010-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) नियम 2 में, अनुक्रमांक इकसठ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“बासठ—विमुक्त, धुमक्कड़ एवं अर्धधुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग”.

- (2) अनुसूची में,— शीर्षक “इकसठ” के पश्चात् निम्नलिखित नया शीर्षक, भाग तथा प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“बासठ—विमुक्त, धुमक्कड़ एवं अर्धधुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग”.

(अ) विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय :

- 1 विमुक्त, धुमक्कड़ और अर्धधुमक्कड़ जनजाति के लिये कल्याण कार्यक्रम का निर्माण और क्रियान्वयन.
- 2 विमुक्त, धुमक्कड़ और अर्धधुमक्कड़ जनजाति के लिये शैक्षणिक तथा आर्थिक विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन.
- 3 विमुक्त, धुमक्कड़ एवं अर्धधुमक्कड़ जाति से संबंधित विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं सलाह.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
धुमन्तु एवं अर्धधुमन्तु जनजाति विभाग
मंत्रालय भोपाल

उप सचालक
विमुक्त धुमक्कड़ एवं अर्ध धुमक्कड़
जनजाति विकास, भोपाल (म.प्र.)

4. इन जातियों से संबंधित नियमों और विनियमों को बनाना और इसका क्रियान्वयन.
5. ऐसी सेवाओं से सम्बद्ध सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग तथा सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किए गए विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ:—नियुक्तियां, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्य निधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन.

(आ) विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम :

कुछ नहीं.

(इ) विभाग के अधीन आने वाले संचालनालय तथा कार्यालय :

कुछ नहीं.

(ई) अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम :

कुछ नहीं.

(उ) ऊपर (ई) के अधीन न आने वाली अन्य संस्थाएं तथा निकाय :

कुछ नहीं.

(ऊ) विभाग के अधीन सेवाओं के नाम, यदि कोई हो, और विशेष सेवा विषय, यदि कोई हो :

कुछ नहीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2011

क्र. एफ ए 1-16-2010-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसर्ण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 1-16-2010-एक(1), दिनांक 22 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd June 2011

No. F-A1-16-2010.—In exercise of the powers conferred by clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In rule 2, after serial number LXI and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :—

"LXII—Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Caste Welfare Department".

- (2) In the Schedule, after the heading "LXI" the following new headings, parts and entries shall be added, namely :—

"LXII—Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Caste Welfare Department".

(A) Matters of policy dealt within the Department :

1. Formulation and implementation of Welfare Programme for Denotified, Nomadic and Semi-nomadic tribes.
2. Implementation of educational and economic development schemes for Denotified, Nomadic and Semi-nomadic tribes.
3. Supervision and advice for various schemes relating to Denotified, Nomadic and Semi-nomadic caste run by various departments.
4. To frame rules and regulations and its implementation, related to these castes.
5. All matters relating to the services with which the Department is concerned (other than matters allotted to the Finance Department and the General Administration Department), e.g. Appointments, postings, transfers, pay, leave, pensions, promotions, provident funds, deputations, punishments and memorials.

(B) Acts and rules administered by the Department :

Nil.

(C) Directorates and Offices coming under the Department :

Nil.

(D) Boards and Corporations set up under Acts :

Nil.

(E) Other Institution and Bodies not covered under (D) Above :

Nil.

(F) Name of Service, if any, coming under the Department and Special Service matters, if any:

Nil.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
मध्यप्रदेश जनजाति विभाग
भोपाल

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सम्पत्ति, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित
उप संचालक
विपुल कुमार एवं अर्द्ध घुमकड